

## आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, जहानाबाद के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से 01 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को **रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र)** अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

| क्र.सं. | मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि | आश्रित का नाम संबंध)/दावेदार, आधार सं०, | श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक | पता/ मोबाईल नं०                                                        | आश्रित का बैंक खाता संख्या | बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी | स्वीकृत अनुदान की राशि         | मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1       | 2                                                | 3                                       | 4                              | 5                                                                      | 6                          | 7                                 | 8                              | 9                                             |
| 01      | स्व० अरविन्द पासवान, 55, गनौरी पासवान, अनु० जाति | फुलवा कुमारी (पत्नी)                    | 399, 06.06.2026                | ग्रा०+पो०- छरियारी, थाना+ प्र०-मखदुमपुर, जिला-जहानाबाद मो०-620628013 0 | 720501 000846 32           | DBGB, PUNB0 MBGB0 6               | रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए ) | स्वाभाविक मृत्यु, राज मजदूर का कार्य          |

कुल रु० 50,000 /-  
(पचास हजार रुपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

ह०/-  
(रोहित कुमार),  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-  
(राजेश भारती),  
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-57/2026-1000

पटना, दिनांक :- 10/08/2026

**प्रतिलिपि :-** शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/उप श्रमायुक्त, गया/श्रम अधीक्षक, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

06/08/2026  
(रोहित कुमार),  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti  
(राजेश भारती),  
कार्यकारी निदेशक